झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

आदेश

राँची / दिनांक–23-11-2021

संख्या–05 / म०स० / ऑ०से०–COVID–19–308 / 2020–2181 / गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड के ज्ञापांक– 01 / CS/Res, दिनांक– 18.04.2021 द्वारा राज्य में COVID–19 के प्रसार के रोकथाम हेतु निर्गत आदेश में राज्यान्तर्गत संचालित ICDS Centers (आँगनबाड़ी केन्द्रों) को दिनांक– 19.04.2021 से अगले आदेश तक बंद रखा गया था, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विभागीय पत्रांक– 812, दिनांक–19.04.2021 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे।

2. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड के आदेश ज्ञापांक–434 / CS/Res, दिनांक– 30.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्गत आदेश में राज्यान्तर्गत सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ आँगनबाड़ी सेविकाओं तथा आँगनबाड़ी सहायिकाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने का निदेश है।

3. उपर्युक्त के क्रम में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड के आदेश ज्ञापांक–434 / CS/Res दिनांक–30.10.2021 के आदेश के अनुपालन में राज्य के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन पूर्व की भाँति सुचारु रुप से किया जायेगा। इस हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–542, दिनांक–12.03.2021 के माध्यम से निर्गत Standard Operating Procedure (छायाप्रति संलग्न) के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

साथ ही सभी आँगनबाड़ी कर्मियों का COVID–19 से प्रतिरक्षा हेतु पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य रुप से कराया जायेगा। निदेशक, समाज कल्याण आँगनबाड़ी कर्मियों के लिए COVID–19 से प्रतिरक्षा हेतु टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. आँगनबाड़ी कर्मी COVID–19 से संक्रमण से बचाव हेतु यथा निर्देशित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभुकों को सभी आँगनबाड़ी सेवाएँ उपलब्ध करायेंगे। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन पूर्व की भाँति सुचारु रुप SOP के प्रावधानों के तहत किया जाय।

5. निदेशक, समाज कल्याण उक्त आदेशों एवं SOP के आलोक में आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन निमित्त आवश्यक सभी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

22/11/21

(अविनाश कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

संख्या–05 / म०स० / ऑ०से०–COVID–19–308 / 2020–2181 राँची, दिनांक :–23-11-2021

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड / उप सचिव, मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड / प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

22/11/21

सरकार के प्रधान सचिव।

संख्या–05 / म०स० / ऑ०से०–COVID – 19 –308 / 2020–2181 राँची, दिनांक :– 23-11-2021

प्रतिलिपिः– निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची / महानिदेशक, झारखण्ड राज्य पोषण मिशन, राँची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड / सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

22/11/21

सरकार के प्रधान सचिव।

संख्या–05 / म०स० / ऑ०से०–COVID – 19 –308 / 2020–2181 राँची, दिनांक :– 23-11-2021

प्रतिलिपिः– Ms. Aditi Das Rout, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

22/11/21

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

आदेश

संख्या–05 / म०स० / ऑ०से०–COVID – 19 –308 / 2020-542 राँची / दिनांक–12/3/2021

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना सं0– 61 (13), दिनांक– 16.03.2020 द्वारा COVID–19 को Epidemic Disease अधिसूचित किये जाने के फलस्वरुप उत्पन्न परिस्थिति के दृष्टिगत् निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–523, दिनांक– 21.03.2020 द्वारा राज्यान्तर्गत सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया था।

2. उक्त तिथि से अबतक आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने वाली सेवाएँ यथा पूरक पोषाहार का वितरण, स्वास्थ्य सेवाएँ, संदर्भ सेवाएँ, COVID–19 से बचाव हेतु परामर्श सेवाएँ, बच्चों को टीकाकरण इत्यादि सेवाएँ आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा स्वयं एवं संबंधित अन्य विभागों के कर्मियों को सहयोग प्रदान कर आँगनबाड़ी क्षेत्र के प्रत्येक घरों में घर–घर जाकर उपलब्ध कराया जा रहा था।

3. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड के आदेश ज्ञापांक–107 (अनु०), दिनांक– 23.02.2021 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में राज्यान्तर्गत Containment Zone(s) के बाहर अवस्थित सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों का पूर्व की भाँति सुचारु संचालन दिनांक–01.04.2021 के प्रभाव से पुनः प्रारंभ करने का आदेश दिया जाता है।

4. उपर्युक्त के क्रम में राज्य में Containment Zone(s) के बाहर अवस्थित सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन में महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार द्वारा दिनांक– 11.11.2020 को निर्गत दिशा–निर्देशों एवं इस पर आधारित Standard Operating Procedure (छायाप्रति संलग्न) के अक्षरशः अनुपालन में किया जायेगा।

कालांतर में Containment Zone(s) से मुक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन भी इन्हीं दिशा–निर्देशों एवं SOP के प्रावधानों के तहत् किया जायेगा।

5. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड (आपदा, प्रबंधन प्रभाग) के आदेश ज्ञापांक–107 (अनु०), दिनांक– 23.02.2021 आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन पुनः प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित सभी आंगनबाड़ी कर्मियों का COVID–19 से प्रतिरक्षा हेतु टीकाकरण अनिवार्य रुप से कराया जायेगा।

निदेशक, समाज कल्याण आँगनबाड़ी कर्मियों के लिए COVID–19 से प्रतिरक्षा हेतु टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभी आँगनबाड़ी कर्मियों का दिनांक– 01.04.2021 के पूर्व टीकाकरण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. आँगनबाड़ी कर्मी COVID–19 से संक्रमण से बचाव हेतु यथा निर्देशित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभुकों को सभी आँगनबाड़ी सेवाएँ उपलब्ध

करायेंगी। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन पूर्व की भाँति सुचारु रुप SOP के प्रावधानों के तहत किया जाय।

7. निदेशक, समाज कल्याण उक्त SOP के आलोक में आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन निमित्त आवश्यक सभी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

12/3/21

(अविनाश कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

संख्या–05 / म०स० / ऑ०से०–COVID – 19 –308 / 2020–542 राँची, दिनांक :–12/3/2021

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड / उप सचिव, मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

12/3/21

सरकार के प्रधान सचिव।

संख्या–05 / म०स० / ऑ०से०–COVID – 19 –308 / 2020–542 राँची, दिनांक :–12/3/2021

प्रतिलिपिः– निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

12/3/21

सरकार के प्रधान सचिव।

संख्या–05 / म०स० / ऑ०से०–COVID – 19 –308 / 2020–542 राँची, दिनांक :–12/3/2021

प्रतिलिपिः– Ms. Aditi Das Rout, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

12/3/21

सरकार के प्रधान सचिव।

113

कोविड–19 के संदर्भ में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने एवं आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में केन्द्र संचालन मार्गदर्शिका

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No. PA/85/2020-CPMU C No. 85941, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निदेशित किया गया है कि गृह मंत्रालय के OM No. 40-6/2020/DM-1 (A) Part-2, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के तहत Containment Zone के बाहर स्थित सभी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जा सकते हैं।

कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर विभाग द्वारा कोरोना प्रतिबंधित/आपदा ग्रस्त क्षेत्र के बाहर आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने हेतु मार्गदर्शिका (Standard Operating System) बनाये जाने का प्रस्ताव है।

मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश/मार्गदर्शिका के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन मार्ग दर्शिका का प्रारूप निम्नवत् है :–

I. आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की स्थिति में की जाने वाली तैयारियों के **तीन चरण** निम्नवत होंगे :–

खोले जाने के पूर्व की तैयारी	**केन्द्र खुलने पर दैनिक संचालन के दौरान की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई**	**अनुश्रवण**

II. राज्य में कहाँ–कहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे?

वैसे आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे जो कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्र/आपदा ग्रस्त में नहीं है।

IA. **प्रथम चरण** :आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने के पूर्व एवं आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने से पहले, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं समस्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी **चेकलिस्ट–1** में दिए गए गतिविधियों की शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

- **चेकलिस्ट–1** की गतिविधियों के अनुसार कार्य सम्पन्न कर, सत्यापन प्रमाण पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सौपा जाएगा एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्यापन प्रतिवेदन समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समाज कल्याण निदेशालय स्तर पर इन्हें संकलित किया जायेगा एवं निदेशालय द्वारा संकलित मासिक प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- **चेकलिस्ट–1** की गतिविधियों के दौरान महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आंगनवाड़ी सेविकाओं की समुचित सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

चेकलिस्ट–1 : आंगनवाड़ी केन्द्र खुलने के पहले की तैयारी

क्रम	क्रियाकलाप / मद	समय अवधि	दायित्व
1.	आंगनवाड़ी केन्द्र एवं परिसर की सफाई	आंगनवाड़ी केन्द्र खुलने के एक सप्ताह पूर्व	आंगनवाड़ी सेविका / सहायिका
2.	आंगनवाड़ी केन्द्र के समस्त बर्तन एवं उपकरणो की सफाई	–तदैव–	आंगनवाड़ी सेविका / सहायिका
3.	आंगनवाड़ी केन्द्र के भीतरी एवं बाहरी हिस्सो को संक्रमण मुक्त करने के लिए Sodium Hypochlorite Solution का छिडकाव	i केन्द्र खुलने से एक सप्ताह पहले ii पुनः केन्द्र खुलने से तीन दिन पूर्व	आंगनवाड़ी सेविक / सहायिका एवं महिला पर्यवेक्षिका
4.	आंगनवाड़ी केन्द्र में आवश्यक सामग्री यथा– साबुन, सेनिटाइजर, तौलिया, मास्क, Thermal Gun, IEC material आदि	केन्द्र खुलने के दो दिन पूर्व	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
5.	आंगनवाड़ी केन्द्र पर IEC सामग्री की प्रदर्शनी	केन्द्र खुलने के दो दिन पूर्व	आंगनवाड़ी सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका
6.	बच्चों के रोस्टर का निर्माण	केन्द्र खुलने के एक सप्ताह पूर्व	आंगनवाड़ी सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका
7.	3–6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक से भेंट एवं जानकारी	केन्द्र खुलने के 10 दिन पूर्व से लगातार	आंगनवाड़ी सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका
8.	समुदाय में PRI, SHG आदि के साथ बैठक	केन्द्र खुलने के 10 दिन पूर्व से लगातार	आंगनवाड़ी सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका

आँगनवाड़ी सेविकाओं का प्रशिक्षण

आँगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने से पहले की जाने वाली तैयारी, संचालन के दौरान दैनिक गतिविधियों से संबंधित तय की गई बाते एवं अनुश्रवण पद्धति के संबंध में, सभी आँगनवाड़ी सेविकाओं को, सेक्टर स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्रशिक्षण प्रणाली

राज्य स्तर पर	➢	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, नोडल बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दो चयनित महिला पर्यवेक्षिका को Zoom/VC के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा।
जिला स्तर पर	➢	उपरोक्त प्रशिक्षित (Master Trainers) सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को प्रशिक्षण देंगे। यह प्रशिक्षण छोटे समूह में सामाजिक दूरी (6 फीट) को सुनिश्चित करते हुए की जाएगी।
सेक्टर स्तर पर	➢	आँगनवाड़ी सेविकाओं का प्रशिक्षण सेक्टर स्तर पर किया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मदारी संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी। यह प्रशिक्षण छोटे समूह में सामाजिक दूरी (6 फीट) को सुनिश्चित करते हुए की जाएगी।
प्रशिक्षण प्रारुप		पूर्व तैयारी – चेकलिस्ट 1 संचालन के दौरान की गतिविधयाँ– चेकलिस्ट 2 अनुश्रवण प्रणाली – चेकलिस्ट 3

शाला पूर्व लाभार्थी (3–6 वर्ष) का रोस्टर बनाना

- बच्चों के कुल संख्या एवं आंगनवाड़ी के Class Room के साईज को ध्यान में रखते हुए बच्चो का रोस्टर तैयार करेंगी।
- दो बच्चों के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट होगी
- उपलब्ध जगह के आधार पर रोस्टर बच्चो के नाम के साथ तैयार किया जाएगा
- रोस्टर स्पष्ट होना चाहिए कि किन–किन बच्चों को सप्ताह में किस–किस दिन आना है।
- कक्षा के दीवारों एवं फर्श पर पट्टी चिपकाकर 6 फीट की दूरी चिन्हित किया जाएगा।
- उपरोक्त रोस्टर चार्ट पेपर पर लिखकर आंगनवाड़ी केन्द्र के भीतरी (कक्षा) दीवार पर लगाना भी आवश्यक होगा।
- उपरोक्त रोस्टर को सेविका द्वारा अभिभावक के साथ साझा किया जाएगा ताकि माता–पिता को पता हो कि बच्चे को उन्हें सप्ताह में कितने और किस–किस दिन केन्द्र भेजना है।

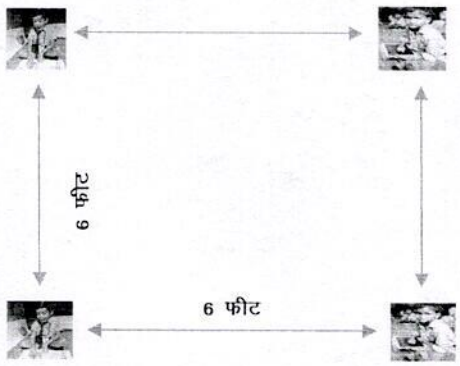

अभिभावकों के साथ संवाद

आँगनवाड़ी केन्द्र खोलने के पूर्व तैयारी के संबंध में, अभिभावकों के साथ बातचीत कर परिवार एवं अभिभावक को अपने बच्चों को आँगनवाड़ी केन्द्र पर भेजने के लिए तैयार करना अनिवार्य होगा। परिवार के साथ–साथ, समुदाय, पंचायती राज के सदस्य एवं अन्य Front line Functionary के साथ बैठक कर केन्द्र के खुलने की तैयारी की जानकारी देना भी आँगनबाड़ी सेविका की जिम्मेदारी होगी।

बैठक की प्रक्रिया

– 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावको से आँगनवाड़ी सेविका बैठक करेंगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह भ्रमण द्वारा शालापूर्व शिक्षा के बच्चों के माता पिता से सम्पर्क स्थापित करेंगी। सेविका जरुरत पड़ने पर एक से ज्यादा बार गृह भ्रमण भी करेंगी। समुदाय बैठक में आवश्यक रुप से निम्न सदस्यों को शामिल करेंगी।

1. ग्राम पंचायत के सदस्य
2. स्वयं सहायता समूह के सदस्य
3. सहिया
4. जल सहिया
5. पोषण सखी
6. सहायिका
7. लाभुक बच्चों के अभिभावक

नोटः–

a. उपरोक्त बैठक में संबंधित महिला पर्यवेक्षिका भी भाग लेंगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी Randomly ऐसे बैठक में भाग लेंगी।

b. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र पर साबुन, सेनेटाइजर, तौलिया एवं मास्क आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाएगी।

c. बैठक के दौरान मास्क एवं सामाजिक दूरी (Social Distancing) 6 फीट की दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।

केन्द्र पर आवश्यक सामग्री की सूची

क्रम	सामग्री	Quantity	
1	साबुन (Liquid Soap)	सभी केन्द्र के लिए आवश्यकतानुसार	आपूर्ति सामग्री अन्तर्गत आंगनवाड़ी आकस्मिता मद से क्रय किया जाएगा।
2	तौलिया	4 small size	
3	मास्क	आँगनवाड़ी सेविका / सहायिका हेतु	
4	सेनिटाइजर	सभी केन्द्र के लिए आवश्यकतानुसार	
5	सेनिटाइजर (वजन मशीन के लिए)	सभी केन्द्र के लिए आवश्यकतानुसार	
6	Thermal Gun	38432 (One time)	Flexi Fund से क्रय किया जाएगा।
7	IEC सामग्री	38432 (One time)	पोषण अभियान के IEC मद से क्रय किया जाएगा।

आंगनवाड़ी केन्द्र की सफाई एवं संक्रमण मुक्त करना

- राज्य के सभी आंगनवाड़ी केन्द्र मार्च, 2020 से बन्द है। अतः आंगनवाड़ी केन्द्र की सम्पूर्ण सफाई आवश्यक होगी।
- आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका स्थानीय मदद से आंगनवाड़ी केन्द्र (कक्षा, स्टोर, बरामदा, शौचालय एवं सम्पूर्ण परिसर) की धुलाई एवं सफाई करवायेंगे।
- आंगनवाड़ी केन्द्र में उपलब्ध सभी बर्तन, अन्न रखने के बर्तन, टीन के डब्बे, ड्रम इत्यादि को भी अच्छे से धोकर धूप दिखाया जाएगा।
- बच्चो के बैठने हेतु दरी अथवा चटाई को भी धोया जाये। धोकर अच्छे से धूप में सुखाया जाएगा।

संक्रमण मुक्त करना

- आंगनवाड़ी केन्द्र खुलने से तीन दिन पहले, प्रत्येक आंगनवाड़ी भवन के भीतरी एवं बाहरी दिवार एवं जमीन को संक्रमण मुक्त करने हेतु नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला प्रशासन से Sodium Hypoclorite Solution और Bleaching Solution से स्प्रे अनिवार्य रूप से करवायेंगे।
- कक्षा के फर्श/जमीन को फिनाईल एवं Bleaching Solution से पोछा लगाया जाएगा।

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुविधा

प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर हाँथ धोने हेतु साबुन एवं साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

कब–कब हाँथ धोयें जायेंगे– 20 second तक

- कक्षा में प्रवेश के पूर्व
- नाश्ता खाने के पूर्व एवं बाद
- खाना खाने के पहले एवं पश्चात
- शौचालय के इस्तेमाल के बाद
- अंतिम सत्र समाप्त होने के पश्चात

नोटः– आवश्यकता पड़ने पर बच्चों के हाँथ अल्कोहल युक्त सेनीटाईजर से सेनीटाईज भी किए जा सकते हैं।

बच्चों के तापमान जाँच करना

कक्षा में प्रवेश से पहले सभी बच्चों का प्रतिदिन Infra-ray Gun Thermometer से तापमान जाँच किया जाएगा।

नोटः– यदि किसी भी बच्चे/व्यस्क में कोविड संबंधित कोई लक्षण दिखे तो उन्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका इसकी सूचना सहिया, ए0एन0एम0 अथवा पी0एच0सी0 को देंगे।

*कोविड संक्रमण **Positive** की सूचना मिलने पर जिले स्तर पर चिन्हित पदाधिकारी/कार्यालय को सूचित किया जाना आवश्यक होगा एवं पीड़ित बच्चें/व्यक्ति के परिवार तथा इनके संसर्ग में आये अन्य बच्चे/व्यक्ति को **Self Isolation** हेतु निर्देश के साथ आवश्यक जानकारी एवं परामर्श दिया जाएगा।*

IEC एवं अन्य सामग्री का आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रदर्शन

आंगनवाड़ी केन्द्र खुलने के दो दिन पूर्व केन्द्र में आवश्यक IEC सामग्री का प्रदर्शन सेविका द्वारा कर लिया जाएगा।

1. फ्लेक्स
2. रोस्टर
3. अनुश्रवण चेकेलिस्ट

नोटः– जिला समाज कल्याण पदाधिकारी उपरोक्त सामग्री की प्रिन्टिंग एवं प्रदर्शनी को सुनिश्चित करवायेंगी।

चरण 2 – आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन (खोले जाने पर) के दौरान, आवश्यक बिन्दु

शाला पूर्व शिक्षा

- शाला पूर्व शिक्षा के बच्चे रोस्टर के अनुसार केन्द्र पर आयेंगे।
- रोस्टर निर्धारण हेतु 05–08 बच्चों का छोटा समूह बनाया जायेगा।
- बच्चो की संख्या कक्षा के space एवं 6 फीट की दूरी के आधार पर तय किया गया हो।
- सभी बच्चे क्रमवार, 6 फीट की दूरी रखते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे।
- बच्चों को Lessons घर पर Follow up करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। बच्चों के माता–पिता को इस संबंध में परामर्श दिया जायेगा एवं बच्चों को Lessons Follow up करवाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

कक्षा में प्रवेश के दौरान

- कक्षा में प्रवेश के पहले सहायिका सभी बच्चों के हाथ साबुन से धुलवाने में मदद करेंगी।
- सेविका, समाजिक दूरी रखते हुए बच्चो को पढ़ायेंगी।
- सेविका एवं सहायिका के लिए मास्क (मुँह कपड़े से ढ़का होना) अनिवार्य होगा।
- खोलने के अवधि में खिलौने का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- शारीरिक गतिविधियाँ समाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा।
- शौचालय के प्रयोग के बाद बच्चे का साबुन से हाथ धोना सुनिश्चित कराया जाएगा।

कोविड से बचाव हेतु बच्चो को जानकारी देना

- बार–बार हाथ धोना;
- कम से कम 20 सेकेण्ड तक;
- हाँथ कब–कब अनिवार्य रूप से धोना;
- अपने सहपाठी से दूरी रखेंगे;
- अपने आँख, नाक, मुँह को नहीं छुयेंगे;
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकेंगे;
- घर और आँगनवाड़ी केन्द्र से बाहर बिना जुते चप्पल पहने नहीं निकलेंगे;
- भीड़–भाड़ वाली जगह में नहीं जायेंगे;
- अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :–

- लाभुकों को THR उनके घर पर जाकर अथवा VSHND में केन्द्रों पर लाभुकों की उपस्थिति पर निर्धारित मात्रा में नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त के क्रम में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा मानकों हेतु MoH, GoI एवं MoHFW, GoI के Guidelines का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वितरण के पूर्व आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका अपने हाथ एवं खाद्य सामग्री के पैकेट अनिवार्य रुप से Sanitize करेंगे।
- अति कुपोषित बच्चे, उच्च जोखिम गर्भधारण अवस्था एवं धातृ माताओं को उनके गृह पर हीं आंगनबाड़ी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।
- 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, रुग्ण व्यक्तियों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित नहीं होने हेतु परामर्श दिया जायेगा एवं आंगनबाड़ी सेवाएँ के तहत् प्रावधानानुसार आवश्यक सेवाएँ उनके घर तक पहूँचाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल आवश्यक तथा स्वास्थ्य सेवाएँ हेतु ही आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपस्थित होने का परामर्श दिया जायेगा।
- CBE Events का आयोजन छोटे समूह बनाकर अल्प अवधि के लिए एवं स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों संबंधी सभी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए किया जा सकेगा।
- आंगनबाड़ी कर्मी तकनीक का प्रयोग यथा– VC, Whatsapp, SMS कर लाभुकों तक आंगनबाड़ी सेवाएँ तहत् सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु सूचना एवं परामर्श उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगी।

इस संबंध में महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी उन्हें मार्ग दर्शन करेंगी एवं प्रोत्साहन प्रदान करेंगी।

चरण 3 – अनुश्रवण

<u>वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण की प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक होगा।</u>

आंगनवाड़ी केन्द्र का अनुश्रवण

पदाधिकारी	प्रतिमाह
महिला पर्यवेक्षिका	कम से कम 15 आंगनवाड़ी केन्द्र हर महीने
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	प्रत्येक सेक्टर के कम से कम 5 आंगनवाड़ी केन्द्र हर महीने
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी	हर महीने कम से कम 5 आंगनवाड़ी केन्द्र

- अनुश्रवण के दौरान सभी अधिकारी चेकेलिस्ट–3 आवश्यक रूप से भरेंगे।

<u>आंगनवाड़ी सेविका द्वारा अनुश्रवण</u>

- कोरोना से बचाव हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र में की जाने वाली आवश्यक गतिविधियों का अनुश्रवण, सेविका द्वारा दैनिक स्व अनुश्रवण प्रतिवेदन में किया जाएगा।
- चेकलिस्ट का प्रारूप संलग्न

आंगनवाड़ी सेविका द्वारा भरे जाने वाले (Self Monitoring) चेकलिस्ट

दैनिक स्व अनुश्रवण प्रतिवेदनमाह का नामः–

क्रम	विषय	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	आंगनवाड़ी केन्द्र कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्र/आपदाग्रस्त क्षेत्र में है या नहीं (Containment Zone)																															
2.	केन्द्र पर आवश्यक सामग्री उपलब्धता																															
2.1	साबुन																															
2.2	पानी																															
2.3	सेनेटाइजर																															
2.4	धुले तौलिये																															
2.5	Thermal Gun(Functional)																															
2.6	मास्क																															
2.7	वजन मशीन (Functional)																															
2.8	Stadiometer, Infantometer (Functional)																															
3.	केन्द्र की सफाई अच्छे से की गई(Sodium Hypochoride Soluationसे)																															
4.	केन्द्र पर IEC प्रदर्शित है																															
5.	सभी बच्चो के तापमान लिए गए हैं																															
6.	बच्चो की उपस्थिति रोस्टर के अनुसार है																															
7.	कक्षा में प्रवेश के पहले बच्चो के हाथ साबुन से 20 सेकेण्ड तक धोये गये																															
8.	बच्चे 6 फीट की दूरी पर बिठाए																															

184

	गए																																	
9.	पढ़ाई के अलावा बच्चो के साथ कोरोना से बचाव पर चर्चा की गई																																	
10.	बच्चो को नाश्ता एवं खाना परोसने से बच्चो के हाथ साबुन एवं पानी से धुलवाये गये																																	
11.	शौचालय के प्रयोग के पश्चात बच्चो के हाथ साबुन एवं पानी से धुलवाये गये																																	
12.	बच्चो के बीच वैसे खेल सामग्री को साझा नहीं किया गया जिसे किटाणू रहित करना मुश्किल है																																	
13.	बच्चो के बीच खाना साझा नहीं किया गया (एक प्लेट में दो बच्चे साथ नहीं खायेंगे)																																	
14.	बच्चो को भोजन खिलाते समय सामाजिक दूरी का रखी गई																																	
15.	बच्चो का वजन रोस्टर के अनुसार मानदंडो को ध्यान में रखकर किया गया																																	

नोटः–आंगनवाड़ी सेविका चेकलिस्ट को प्रत्येक दिन (√/X) भरेंगे।

103

गर्म ताजा भोजन

सर्वप्रथम सेविका के द्वारा बच्चों का रोस्टर तैयार कर लिया जाएगा। इस क्रम में बच्चों की उपस्थिति प्रतिदिन नहीं रहने के कारण रोस्टर अनुरूप अनुपस्थिति अवधि के लिए पोषाहार सामग्री (HCM) THR के रूप में दिया जाएगा। उदाहरणस्वरूप एक माह में कुल 25 दिनों का HCM खिलाया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि रोस्टर अनुरूप बच्चे 8 दिन ही केन्द्र पर आते है तो शेष 17 दिनों का पूरक पोषाहार उन्हें THR के रूप में दिया जाएगा।

आंगनवाड़ी केन्द्र पर भोजन बनाने एवं परोसा जाना

1. रसोई घर की अच्छी तरह सफाई की जाएगी (भोजन बनने से पूर्व एवं पश्चात)।
2. भोजन बनने से पहले बर्तन अच्छे तरह धुले होने चाहिए।
3. खाना बनाने से पूर्व सहायिका साबुन एवं पानी से 20 सेकेण्ड तक हाथ धोयेंगी।
4. खाना बनाने एवं परोसने के समय नाक एवं मुँह ढ़का होना चाहिए।
5. खाना परोसने से पहले सभी बच्चो के हाथ साबुन एवं पानी से 20 सेकेण्ड तक धुलवाये जायेंगे।
6. एक प्लेट/थाली में दो बच्चो को खाना नहीं परोसा जाएगा।
7. केन्द्र संचालन के दरम्यान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी।

वृद्धि निगरानी (3 से 6 वर्ष के बच्चे)

1. शालापूर्व लाभार्थी (3 से 6 वर्ष के बच्चे) का वजन प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा।
2. वजन रोस्टर के अनुसार ही लिया जाएगा।
3. माह का प्रथम सप्ताह 'वजन सप्ताह' के रूप में मनाया जाएगा। (भोजन से पहले के सत्र के रूप में)
4. अभिभावक को इसकी सूचना गृह भ्रमण एवं समुदाय बैठक के दौरान पहले से AWW द्वारा दी जाएगी।

वजन एवं लम्बाई/ऊँचाई मापने की प्रक्रिया

1. प्रत्येक बच्चे का वजन लेने के पहले वजन मशीन, Stadiometer, Infantometer को सेनिटाइज किया जाना आवश्यक होगा।
2. वजन के दौरान सेविका की मदद हेतु सहिया एवं माता साथ हो सकती हैं। जिन जिलो के पोषण सखी है उनकी मदद लें।
3. सेविका, सहिया एवं अभिभावक द्वारा मास्क का उपयोग आवश्यक होगा।
4. वर्तमान में साल्टर मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

वजन का रिकार्ड पंजी में संधारण

- वजन के दौरान प्रत्येक बच्चे की विवरणी संलग्न प्रपत्र में रिकार्ड करना अनिवार्य होगा।
- ICT-RTM जिले में ICDS-CAS App में प्रविष्टि अनिवार्य होगी।
- पोषण स्तर के आधार पर Summary Sheet तैयार किया जाएगा।
- अति कुपोषित बच्चो की सूची, नाम के साथ आंगनवाड़ी केन्द्र पर लगाना अनिवार्य होगा।
- वैसे अति कुपोषित बच्चे जिनमें चिकित्सीय जटिलता वाले लक्षण पाए गए, उन्हें नजदीकी MTC भेजने का प्रबन्ध किया जाएगा।
- रेफर किए जाने वाले बच्चो के लिए रेफरल स्लिप भरा जाना आवश्यक होगा। (प्रपत्र–1 संलग्न)
- रेफरल स्लिप की एक प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र में रखा जाएगा एवं दूसरी प्रति अभिभावक अथवा सहिया को दिया जाएगा जो बच्चे को MTC लेकर जाएगी।
- वैसे अति कुपोषित बच्चे जिन्हें रेफरल की आवश्यकता नहीं है, वैसे बच्चो के अभिभावको को सेविका, सहिया एवं पोषण सखी अनिवार्य रूप से गृह भ्रमण के दौरान e-ILA App, Take Away एवं Flip Book के माध्यम से जानकारी देंगी।

प्रपत्र–I

क्रम	बच्चे का नाम	लिंग	उम्र (माह में)	जन्म तिथि	माता का नाम	पिता का नाम	घर का पता	माह					
								वजन (Kg)	वर्त्तमान पोषण की तिथि	लम्बाई / ऊँचाई (cm)	पोषण की स्थिति	वजन एवं लम्बाई / ऊँचाई मापने की तिथि (cm)	रेफरल संबंधी टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(100)

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

अति गंभीर कुपोषित बच्चों का MTC में रेफरल

रेफरल स्लिप

(कार्बन कापी के साथ दो प्रतियों में)

1. बच्चे का नामः ..... उम्रः..... लिंगः.....
2. माता का नामः.....
3. पिता का नामः.....
4. पिता / माता का मोबाईल न०:.....
5. घर का पताः.....
6. बच्चे की जन्म तिथिः.....

जिला : .....प्रखण्ड : .....
पचायत : .....गॉव :
केन्द्र का नाम .....केन्द्र कोड.....
सेविका का नाम : .....सेविका का मोबाईल न० : .....
सहिया का नाम : ..... मोबाईल न० : .....

---

7. रेफरल की तिथि : __/__/____ 8. रेफरल का समय : .....

9. रेफरल के समय शारीरिक माप : वजनः.....लम्बाई / ऊँचाईः.....

11. बच्चे में पाये गये अन्य लक्षण :

सूजन.....भूख ना लगना (खाने में अरुची).....बुखार..... लगातार दो सप्ताह में वजन में वृद्धि नहीं .....अन्य लंक्षण .....

12. MTC का नाम जहाँ रेफर किया गया .....

हस्ताक्षर

सेविका **सहिया** **माता / पिता / अभिभावक**

MTC में एडमिशन के दौरान भरा जाऐगा

एडमिशन की तिथि	
एडमिशन का समय	
MTC इंचार्ज का नामMTC इंचार्ज का नाम	
MTC इंचार्ज का मोबाईल नं०	
इंचार्ज का हस्ताक्षर	

MTC से Dischargeकी सूचना

Discharge की तिथि	
Discharge का समय	

नोटः– 0 से 1 माह तक के अतिगंभीर कुपोषित बच्चों को तुरंत नजदीकी **SNCU** में रेफर किया जाना है।

– 2 माह से 5 माह तक के अतिगंभीर कुपाषित बच्चों को तुरंत नजदीकी कुपोषण उपचार केन्द्र **(MTC)**/अस्पताल में रेफर कियाजाना है।

MTC से Discharge के पश्चात् Followup

(6 सप्ताह तक गृह भ्रमण)

बच्चे का नाम :– .....उम्र :– ..... लिंग :– .....

माता / पिता का नाम :– .....

MTC में एडमिशन की तिथिः .....MTC से डिस्चार्ज की तिथिः .....MTC में कुल दिन :– .....
.....

डिस्चार्ज के समय वजनः– ..... लम्बाई / ऊचाँई (cm) :– .....

गृह भ्रमण की संख्या	गृह भ्रमण की तिथि	बच्चे की स्थिति टिप्पणी	बच्चे के अभिभावक का हस्ताक्षर	आँगनवाड़ी सेविका का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
प्रथम सप्ताह				
द्वितीय सप्ताह				
तृतीय सप्ताह				
चतुर्थ सप्ताह				
पंचम् सप्ताह				
षष्ठम् सप्ताह				

(43)

F. No. PA/85/2020-CPMU C No 85941
Government of India
Ministry of Women & Child Development
****

Jeevan Vihar Building,
New Delhi - 110001
11th November, 2020

To

The Principal Secretaries/ Secretaries, Department of Social Welfare /Women & Child Development of all States/UTs

Subject: Guidance note on operations of Anganwadi Services — regarding,

Sir/Madam,

Under-nutrition is one of the leading causes of morbidity and mortality in children under the age of 5 years. Delivery of preventive services to mitigate the impact of the pandemic on the nutrition is well recognized. Provision of essential services like Growth Monitoring Referral, and supplementary nutrition etc. to ensure the health and well-being of the pregnant ladies, lactating mothers and children below 5 years is most important. In view of Covid19 pandemic globally, it is imperative to ensure, that the beneficiaries do not suffer and remain away from Anganwadi services.

2. Hence, Anganwadi Services may be resumed outside containment zones with immediate effect, complying health and safety protocols. Further, cleanliness, Hygiene and Sanitization may be ensured in and around the premises of Anganwadi Center, use of mask/face covers shall be mandatory for everyone visiting the Centre, including AWW and AWH. Also, frequent hand washing, and strict social distancing as per MoHFW guidelines must be followed at Anganwadi Centre.

3. Ministry of Women and Child Development has taken up the matter with Ministry of Home Affairs regarding reopening of AWCs. Ministry of Home Affairs vide OM No. 40-6/2020/DM-1(A)/Part-2 dated 22nd October 2020 (copy enclosed) advised that AWCs may be opened outside the containment zones, by adhering to the Standard Operating Procedures (SOP) related to health and security measures in consultation with State/UTs.

4. A guidance note for resuming Anganwadi Services is **enclosed** herewith. Based on the guidance note, States / UT Governments need to develop their own SOP for reopening AWC when the State/Union Territory Governments declare it safe for AWC to operate. **All States/UTs are expected to comply with the COVID-19 related directions issued by Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, from time to time.**

5. Therefore, it is requested that States/UTs may decide reopening of AWCs outside containment zones while adhering to health and safety protocols as per the guidelines of MOHFW.

Yours sincerely,

(Sanjiv Gajraj)
Executive Director,
POSHAN Abhiyaan, MWCD

Copy to:
PS to Minister,
PS to MoS,
Secretary MoHFW and Secretary MHA

Ministry of Women & Child Development

Government of India

Operational Guidance note for continuation of services in the context of COVID-19

In view of Covid19 pandemic globally, functioning of Anganwadi centers was suspended to avoid spread of COVID 19. However, since it is imperative to ensure simultaneously, that the beneficiaries do not suffer on account of suspension of Anganwadi services, the door to door distribution of Supplementary nutrition under the scheme has continued. Subsequent unlock guidelines have been issued by the MHA, recommending phased reopening of services while adhering to preventive protocols.

As under-nutrition is one of the leading causes of morbidity and mortality in children under the age of 6 years, provision of essential services like Growth Monitoring, Referral, and Supplementary Nutrition etc. to ensure the health and well-being of children below 6 years along with the pregnant women & lactating mothers is most important to mitigate the challenges of malnutrition. Continuation/resumption of these services is also necessary to minimize the impact of the pandemic on vulnerable women and children.

Necessary vaccination and other health related interventions also need to be resumed to ensure that the children do not miss timely shots of vaccines and follow the mandatory protocol. While the school education has reinvented itself to engage with children through online platform, the children visiting Anganwadi Centers also need to recommence their education at Anganwadis as per ECCE practices. These essential services ought to be resumed, with due caution, to provide essential services including supplementary nutrition, health interventions and ECCE at Anganwadi Centers.

Hence, Anganwadi services may be resumed in outside containment zones, when the State/Union Territory Governments declare it safe for AWC to operate, while complying with following measures:

1. Cleanliness, Hygiene and Sanitization may be ensured in and around the premises of Anganwadi Center.
2. Use of mask/face covers shall be mandatory for everyone visiting the Centre, including AWW and AWH.
3. Frequent hand washing, sansitization, strict social distancing etc. as per MoHFW guidelines must be followed at the AWC.
4. Appropriate messages for prevention from COVID 19 (i.e. recommending social distancing, use of face mask, hand washing, sanitization, identification of COVID symptoms, primary health care at home etc.) may be suitably displayed in and around AWC.
5. Persons above 65 years of age, and persons with co-morbidities, should not visit Anganwadi Centre.
6. Pregnant women and children below the age of 10 years should visit Anganwadi Centre only for essential and health purposes.

Providing Supplementary Nutrition:

States/UTs may provide cooked food & take-home ration either at the AWCs or delivered at home, based on the prevailing local situation, while observing necessary social distancing and hygiene protocols during storage, preparation and distribution of the same.

Growth Monitoring Services

1. A roster of children may be maintained by AWW to avoid accumulation of beneficiaries at the same time in AWC. The schedule may be shared with parents/caregivers in advance, through mobile phone messages, or any other suitable manner.

2. Growth monitoring services may also be carried out during VHSND as per MoHFW guidance or during home visits, while ensuring hand hygiene, sanitization of weighing equipment and other covid protocols.

3. Severely malnourished children, high risk pregnancy and lactating mothers should be monitored strictly and continued with the home-based service delivery and take-home cooked food.

Counseling Services:

1. Counseling on maternal, infant and young child care and feeding practices may be carried out during home visits, during VHSND or video/telephone calls and whatsapp messages.

2. CBE events may be organized in-person in small groups for short duration following all COVID-19 protocols or virtually through video/audio medium.

ECCE Services

1. Preschool education may be resumed at the Centre in small groups of five to eight children on any day. Children may visit Anganwadi Centre once a week and follow up on the lessons at home, with help of parents.

2. On line Pre-school education, using satellite telecast and sharing lessons through mobile network may be encouraged wherever possible.

Protocol after identification of CORONA patients

Any Child or adult showing any symptoms of COVID should be sent back to their homes. AWW/AWH may inform ASHA/ANM/PHC/any other facility as prescribed by local administration, regarding them. In case of confirmed COVID cases visiting AWC, the premises may be re-sanitised as prescribed by and with support of local administration. Persons who came in contact with the patient may be asked to self-isolate and report to health authorities in case of COVID symptoms.

Note: All States/UTs are expected to comply with the COVID-19 related directions issued by Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, from time to time. District Collectors/ District Magistrate may decide extent of opening and service delivery at AWC outside containment zones, guiding the field functionaries within the District, based on the prevalent and changing local circumstances. They shall conduct regular review and monitoring with all concerned for ensuring the functioning of Anganwadi as per the laid down parameters.

*****

54[illegible]60/2020/NUTRTION

120

(40)

सं. 40-6/2020-डीएम-1 (ए)/ पार्ट-2
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)
******

कमरा नं° 10-C
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
दिनांक: 22अक्तूबर, 2020.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आँगनबाड़ी केन्द्रों के पुनः संचालन हेतु।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या PA/85/2020-CPMU दिनांक 14 अक्तूबर, 2020 के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि आँगनबाड़ी केन्द्रों को संबन्धित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से परामर्श के बाद, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों संबंधी एसओपी के पालन के अधीन, कंटेनमेंट जोनों से बाहर फिर से शुरू करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्णय ले सकता है।

आशिष
(आशिष कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवामें,

सचिव,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।